N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT   P.S. (थाना): C.P.S Jaipur   Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0263   Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 08/10/2025 18:58 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन   Date From (दिनांक से): 03/10/2025   Date To (दिनांक तक): 07/10/2025

Time Period (समय अवधि): पहर   Time From (समय से): 12:05 बजे   Time To (समय तक): 22:50 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 08/10/2025   Time (समय): 16:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 002   Date & Time (दिनांक एवं समय) 08/10/2025 18:58:37 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): SOUTH-EAST, 48 किमी   Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICAB

(b)Address(पता): BABU LAL MEENA KE GHAR BAHAR, ALIGARH TONK

(c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम):   District(State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** RAJESH KUMAR SAIN

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** RAMSWROOP

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1994 (d) **Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GRAM DEVLI, ALIGARH, TONK, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GRAM DEVLI, ALIGARH, TONK, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	VIKRAM KUMAWAT		पिता:MATADEEN KUMAWAT	1. GRAM GOANDI,SIKAR,RAJASTHAN,IN

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		15,000.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-) (चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 15,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें,श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकए.सी.बी. टोकविषय- रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकडवाने बाबत्।महोदय,निवेदन है कि मैं राजेश कुमार सेन पुत्र श्री रामस्वरूप सेन जाति नाई उम्र 31 साल निवासी ग्राम देवली तहसील अलीगढ जिला टोक का रहने वाला हू। मैंने बी.ए. तक पढाई कर रखी है तथा वर्तमान में ग्राम देवली में परचूनी की दुकान लगाता हू। मेरे पिता श्री रामस्वरूप जी सैन के नाम ग्राम देवली में 2 बीघा के लगभग भूमी है। मेरे पिताजी विकलांग है। मेरे पिताजी के नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम के तहत वर्ष 2022-2023 में हमारे खेत पर मेडबन्दी तालाब की पाल मिट्टी डालना बागवानी पशु आश्रय निर्माण कार्य स्वीकृत हुआ था। जिसमें से कुछ कार्य हो चुका है तथा कुछ कार्य शेष है । दिनांक 16.09.2025 से दिनांक 30.09.2025 तक हुये कार्य की मस्टरोल भरी जा चुकी है तथा प्रशासक ग्राम पंचायत देवली व ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत देवली ने मस्टरोल को प्रमाणित कर रखा है। लेकिन अब श्री विक्रम कुमावत जे.टी.ए. पंचायत समिति अलीगढ द्वारा एम.बी. भरनी है। मैं आज विक्रम कुमावत जे.टी.ए. पंचायत समिति अलीगढ से मिला तथा मेरी मस्टरोल को की एम.बी. भरने हेतु कहा तो विक्रम कुमावत ने कहां कि मैं एम.बी नही भरूगा । अगर तुझे एम.बी. भरवानी है तो 18000 रूपये देने पडेगे। तो मैने कहां कि 18000 रूपये से किस बात के लगेगे तो कहने लगा कि अगर 18000 रूपये नही दोगे तो मैं तुम्हारे काम की एम.बी. नही भरूगा तथा मस्टरोल को खारिज कर दूंगा। श्री विक्रम कुमावत जे.टी.ए. पंचायत समिति अलीगढ मेरे जायज काम के बदले में रिश्वत की मांग कर मुझे परेशान कर रहे है। मैं अपने जायज काम के बदले में विक्रम कुमावत जे.टी.ए. पंचायत समिति अलीगढ को रिश्वत नही देना चाहता हू तथा रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकडवाना चाहता हू। मेरी विक्रम कुमावत जे.टी.ए पंचायत समिति अलीगढ से कोई रूपये/पैसो का लेन-देन बकाया नही है तथा नाहि मेरी कोई रंजीश है। मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे।प्रार्थीराजेश कुमार सेन पुत्र श्री रामस्वरूप सेन जाति नाई उम्र 31 साल निवासी ग्राम देवली तहसील अलीगढ जिला टोक। मो.न. [redacted]कार्यवाही पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टोकदिनांक 03.10.2025 समय 12.05 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक झाबर मल भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टोक के समक्ष परिवादी श्री राजेश कुमार सेन पुत्र श्री रामस्वरूप सेन जाति नाई उम्र 31 साल निवासी ग्राम देवली तहसील अलीगढ जिला टोक ने उपस्थित होकर एक हस्तलिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश कि मैं राजेश कुमार सेन पुत्र श्री रामस्वरूप सेन जाति नाई उम्र 31 साल निवासी ग्राम देवली तहसील अलीगढ जिला टोक का रहने वाला हू। मैंने बी.ए. तक पढाई कर रखी है तथा वर्तमान में ग्राम देवली में परचूनी की दुकान लगाता हू। मेरे पिता श्री रामस्वरूप जी सैन के नाम ग्राम देवली में 2 बीघा के लगभग भूमी है। मेरे पिताजी विकलांग है। मेरे पिताजी के नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम के तहत वर्ष 2022-2023 में हमारे खेत पर मेडबन्दी तालाब की पाल मिट्टी डालना बागवानी पशु आश्रय निर्माण कार्य स्वीकृत हुआ था। जिसमें से कुछ कार्य हो चुका है तथा कुछ कार्य शेष है। दिनांक 16.09.2025 से दिनांक 30.09.2025 तक हुये कार्य की मस्टरोल भरी जा चुकी है तथा प्रशासक ग्राम पंचायत देवली व ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत देवली ने मस्टरोल को प्रमाणित कर रखा है। लेकिन अब श्री विक्रम कुमावत जे.टी.ए. पंचायत समिति अलीगढ द्वारा एम.बी. भरनी है। मैं आज विक्रम कुमावत जे.टी.ए. पंचायत समिति अलीगढ से मिला तथा मेरी मस्टरोल को की एम.बी. भरने हेतु कहा तो विक्रम कुमावत ने कहां कि मैं एम.बी नही भरूगा। अगर तुझे एम.बी. भरवानी है तो 18000 रूपये देने पडेगे। तो मैने कहां कि 18000 रूपये से किस बात के लगेगे तो कहने लगा कि अगर 18000 रूपये नही दोगे तो मैं तुम्हारे काम की एम.बी. नही भरूगा तथा मस्टरोल को खारिज कर दूंगा। श्री विक्रम कुमावत जे.टी.ए. पंचायत समिति अलीगढ मेरे जायज काम के बदले में रिश्वत की मांग कर मुझे परेशान कर रहे है। मैं अपने जायज काम के बदले में विक्रम कुमावत जे.टी.ए. पंचायत समिति अलीगढ को रिश्वत नही देना चाहता हू तथा रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकडवाना चाहता हू। मेरी विक्रम कुमावत जे.टी.ए पंचायत समिति अलीगढ से कोई रूपये/पैसो का लेन-देन बकाया नही है तथा नाहि मेरी कोई रंजीश है। मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को परिवादी श्री राजेश कुमार सैन को पढकर सुनाई गई तो परिवादी ने रिपोर्ट में अंकित तथ्यों का सही होना व रिपोर्ट अपने द्वारा हस्तलिखित करना तथा रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर होना बताया तथा अपने आधार कार्ड व पिता के नाम से जारी मेडबन्दी तालाब की पाल मिट्टी डालना बागवानी पशु आश्रय निर्माण कार्य की प्रति, दिनांक 16.09.2025 से दिनांक 30.09.2025

तक की मस्टरोल की स्वप्रमाणित फोटोप्रति पेश की। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं दरियाप्त से मामला रिश्वत राशि मांग का होकर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के अन्तर्गत आना प्रथम दृष्टया दृष्टिगोचर होता है। समय 12.55 पी0एम0 परकार्यालय आलमारी में से सरकारी डिजीटल वायस रिकार्डर निकलवाकर उसमें एक खाली मैमोरी कार्ड डालकर परिवादी को डिजीटल वायस रिकार्डर के संचालन व रखरखाव की विधि की समझाईस की जाकर उचित हिदायत दी गई। परिवादी ने बताया कि मैं आज आरोपी विक्रम कुमावत जे.टी.ओ. पंचायत समिति अलीगढ से मिलकर अपने पिताजी के नाम से जारी मस्टरोल दिनांक16.09.2025 से 30.09.2025 तक की एम.बी. भरने तथा रिश्वति राशि के सम्बन्ध में वार्ता करूगा। अतः कानि0 जलसिंह कानि. 248 को तलब कर परिवादी से आपस में परिचय करवाया गया तथा परिवादी व कानि. जलसिंह को वायस रिकार्डर में वायस दर्ज करने तथा रिकार्डर को चालू व बंद करने की प्रक्रिया समझाईयी। डिजीटल वायस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के कानि0 जलसिंह 248 को सुपुर्द कर समय 1.10 पी.एम पर परिवादी एवं जलसिंह कानि. 248 को वास्ते रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु ईलाका अलीगढ रवाना किया गया। फर्द सुपुर्दगी रिकार्डर पृथक से मुर्तिब की गई। समय 4.10 पी.एम पर जलसिंह कानि. 248 मय परिवादी श्री राजेश कुमार सेन के कार्यालय मे उपस्थित आया। कानि ने सरकारी डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड पेश कर बताया कि कार्यालय से मैं और परिवादी श्री राजेश कुमार सेन रवाना होकर पंचायत समिति अलीगढ के बाहर पहुचे। परिवादी को आरोपी विक्रम कुमावत जे.टी.ए. से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु पंचायत समिति अलीगढ के लिये रवाना कर मैं बाहर ही अपनी उपस्थिति छुपाते हुये मुकीम रहा। समय करीब आधे घण्टे बाद परिवादी वापस आया और मुझे चालू डिजिटल वाईस रिकार्डर प्रस्तुत किया जिसको लेकर मैने बन्द किया। परिवादी ने मेरे को बताया कि मेरी वार्ता विक्रम कुमावत जे.टी.ए. साहब से हो गई है। उन्होने मुझसे कहां कि कितने लेकर आया है तथा तेरा काम हो जायेगा 18000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की मैने कम करने हेतु कहां तो 15000 रूपये आज ही देने हेतु कहां। मैंने कहां कि अभी मेरे पास 7000 रूपये फोन पे में पडे हुये है तो कहां कि पूरे ही केस लेकर आना। फिर मैने कहां कि मैं व्यवस्था करके लाता हूं। फिर मै व परिवादी पंचायत समिति अलीगढ से रवाना होकर कार्यालय हाजा पर आये है। परिवादी से पूछने पर परिवादी ने कानि. के कथनो की ताईद की। डिजिटल वायस रिकार्डर को चालु कर मेमोरी कार्ड मे दर्ज वार्ता को सुना गया तो परिवादी की अन्य व्यक्ति से भी वार्ता हुई है जिस सम्बन्ध में परिवादी से पूछा तो परिवादी ने बताया कि मैं जलसिंह जी के पास से रवाना होकर पंचायत समिति अलीगढ में गया तथा वहां पर विक्रम कुमावत जे.टी.ए. साहब के बारे में जानकारी की तो वह वहां पर नही मिले फिर मैने फोन किया लेकिन उन्होने मेरा फोन नही उठाया तो मैं वहां पर अपने परिचित श्री हनुमान गुर्जर एल.डी.सी. ग्राम पंचायत देवली जो पंचायत समिति अलीगढ में था उसके पास बैठकर बातचीत करने लग गये जिन्होने मुझे मजाक में बहुत सारी बाते की। जिन्होने मुझे कहां कि जे.टी.ए. चिटिंग करता है तथा जब मैं आरोपी विक्रम कुमावत से बात करके वापस आ रहा था तब मुझे रास्ते में फिर हनुमान गुर्जर एल.डी.सी. वापस मिला तथा पुनः मुझसे वार्ता की। परिवादी को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि श्री हनुमान गुर्जर एल.डी.सी. ग्राम पंचायत देवली द्वारा भी आपसे अपने लिये रिश्वत की मांग करना मांग सत्यापन वार्ता से आया है इस पर परिवादी ने बताया कि यह उक्त व्यक्ति मेरी ग्राम पंचायत देवली में पदस्थापित है तथा मेरे मिलने वाला है। उक्त व्यक्ति से मेरी मजाक होती रहती है हनुमान गुर्जर मुझसे कोई रिश्वत की मांग नही करते नाहि रिश्वत लेता है। मैं हनुमान गुर्जर एल.डी.सी. के खिलाफ कोई कार्यवाही नही चाहता हू अगर आप लोग हनुमान गुर्जर को इस केस में फंसाओगे तो मैं कोई कार्यवाही नही करवाउॅगा। मुझसे वर्तमान में रिश्वत श्री विक्रम कुमावत जे.टी.ए. पंचायत समिति अलीगढ द्वारा मांगी जा रही है तथा मेरा काम भी उनके पास ही पेण्डिग है। कानि. व परिवादी द्वारा बताये अनुसार एवं मजमून रिपोर्ट मे वर्णित तथ्यों की पुष्टि होना पाया गया, रिश्वत राशि मांग का सत्यापन होना पाया गया। समय 5.20 पी.एम पर ट्रेप कार्यवाही प्रस्तावित होने से ट्रेप कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाहान की आवश्यकता होने से आयुक्त नगर परिषद टोक के नाम तहरीर लिखकर दो स्वतन्त्र गवाह तलबी हेतु श्री मोहम्मद जुनैद हैड कानि. 32 को रवाना किया गया। समय 5.50 पी.एम. पर श्री मोहम्मद जुनैद हैड कानि. 32 कार्यालय नगर परिषद टोक से मय दो स्वतन्त्र गवाह 1. श्री मंगल सैनी पुत्र श्री स्व. श्री नारायण सैनी जाति माली उम्र 33 साल निवासी शिवशक्ति नगर, महादेववाली टोक हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय नगर परिषद टोक मोबाईल नम्बर [redacted] एवं 2. श्री सुभाष धामुनिया पुत्र स्व. श्री लालचंद धामुनिया जाति वाल्मिकी उम्र 39 साल निवासी निवासी काली पलटन, विकास नगर टोक हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय नगर परिषद टोक मोबाईल नम्बर [redacted] के उपस्थित कार्यालय आये। उक्त दोनो गवाहान को आने के मन्तव्य से अवगत कराया गया। कार्यालय पर उपस्थित परिवादी श्री राजेश कुमार सेन से आपस मे परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया एवं पढाया जाकर दोनो स्वतन्त्र गवाहान के परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करवाये गये। रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के डिजिटल वाईस रिकार्डर मे लगे मेमोरी कार्ड मे दर्ज वार्ता को चालुकर मुख्य-मुख्य अंश सुनाया गया। गवाहान ने दर्ज वार्ता को सुनकर रिश्वत राशि का मांग सत्यापन होना बताया। उक्त दोनों गवाहान ने रिपोर्ट को पढ व समझ कर की जाने वाली कार्यवाही में उपस्थित रहने हेतु अपनी-अपनी सहमति प्रदान की । रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता का मेमोरी कार्ड मय वायस रिकार्डर के अपने पास सुरक्षित रखा गया। समय 6.30 पी. एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय मे उपस्थितशुदा परिवादी श्री राजेश कुमार सेन पुत्र श्री रामस्वरूप

सेनं जाति नाई उम्र 31 साल निवासी ग्राम देवली तहसील अलीगढ जिला टोक को आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी ने बताया कि अभी मेरे पास 15000 रूपये नही है तथा अभी शाम का समय हो चुका है। अब विक्रम जी कुमावत जे.टी.ए. साहब पार्टी करने चले जाते है इस कारण उनका मिलना सम्भव नही है। मैं कल रिश्वत राशि की व्यवस्था करके आपके पास आ जाउँगा तथा कल ही उसको रिश्वत राशि दे दूगा । कल शनिवार की छुट्टी होने से अपने कमरे पर ही मिल जायेगे। परिवादी व गवाहान को सुबह 9 बजे कार्यालय पर उपस्थित होने हेतु उचित हिदायत कर रवाना किया गया। दिनांक 04.10.2025 समय 8.30 ए.एम पर पांबदशुदा स्वतन्त्र गवाह 1. श्री मंगल सैनी हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय नगर परिषद टोक 2. श्री सुभाष धामुनिया हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय नगर परिषद टोक उपस्थित कार्यालय आये। समय 10 ए.एम पर पांबदशुदा परिवादी श्री राजेश कुमार सेन पुत्र श्री रामस्वरूप सेन जाति नाई उम्र 31 साल निवासी ग्राम देवली तहसील अलीगढ जिला टोक उपस्थित कार्यालय आया। जिससे देरी से आने के बारे में पूछने पर बताया कि उनियारा से साधन नही मिलने से देरी हो गयी। समय 10.10 ए.एम.पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास सुरक्षित रखे गये रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से सम्बंधित डिजीटल वायस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड को कार्यालय कम्प्यूटर से जोडकर उक्त वार्ताओं को परिवादी व दोनों स्वतन्त्र गवाहान की मौजूदगी में सुन-सुन कर वार्ताओं की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट श्री जलसिंह कानि. 248 फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता की 4 सी.डी. तैयार करवायी गयी। 3 सीडियो को अलग-अलग कपड़े की थेली में रखकर सिलचिट कर मार्क A-1, A-2, A-3 अंकित किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये तथा एक सी.डी. को अनुसंधान अधिकारी के लिये कागज के लिफाफे मे रखी गई। उक्त डेटा/वाईस रिकॉर्डिंग को सरकारी लेपटॉप में संधारित लाईसेन्स एन्टीवायरस से स्केन करवाया गया। स्केनिंग के पश्चात् उक्त रिकॉर्डिंग में किसी भी प्रकार का कोई वायरस/मॉलवेयर होना नही पाया गया। हेसवेल्यू की प्रिन्ट निकलवाई जाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। शील्डशुदा पैकिटो को कार्यालय आलमारी में सुरक्षित रखवाया गया तथा डिजीटल वायस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के स्वंय के पास सुरक्षित रखा गया। समय 11.40 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय मे उपस्थितशुदा परिवादी श्री राजेश कुमार सेन पुत्र श्री रामस्वरूप सेन जाति नाई उम्र 31 साल निवासी ग्राम देवली तहसील अलीगढ जिला टोक को आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी ने अपने पास से भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 30 नोट कुल राशि 15000 रूपये प्रस्तुत किये। तत्पश्चात उक्त नोटों के नम्बरों को फर्द में अंकित करवाये जाकर कार्यालय की अलमारी से फिनोल्फ्थलीन पाउडर की शीशी श्रीमति नमिता चौधरी महिला कानि. 316 से निकलवाई जाकर टेबल पर अखबार बिछाकर श्रीमति नमिता चौधरी महिला कानि. 316 से ही स्वतंत्र गवाहान/कार्यालय स्टाफ की उपस्थिति में उक्त नोटों के दोनो तरफ फिनोल्फ्थलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री राजेश कुमार सेन के पहनी हुयी पेन्ट की बायी जेब की तलाशी स्वतत्र गवाह श्री मंगल सैनी से लिवाई गयी तो उसमें कोई भी वस्तु नहीं होना पाया गया, जिस पर उक्त पाउडर लगी हुयी रिश्वति राशि 15000 रूपये परिवादी के पहनी हुयी पेन्ट की बायी जेब में श्रीमति नमिता चौधरी महिला कानि. 316 से रखवायी गयी। तत्पश्चात एक साफ डिस्पोजल गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया जाकर गवाहान एवं परिवादी को दिखाया गया तो उन्होने घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इस घोल में श्रीमति नमिता चौधरी महिला कानि. 316 की उंगलियों को डूबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हुआ। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोल्फ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कराकर उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी रिश्वत राशि को अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो उक्त नोटों पर लगा फिनोलफ्थलीन पाउडर उसके हाथों की अंगुलियों पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की उंगलियों को उपरोक्तानुसार धुलाई करायी जाएगी तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्रीमति नमिता चौधरी महिला कानि. 316 से फिकवाया तथा फिनोल्फ्थलीन पाउडर लगाने में काम में लिये गये अखबार व डिस्पेाजल गिलास को जलाकर नष्ट करवाया गया तथा फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्रीमति नमिता चौधरी महिला चौधरी 316 से कार्यालय आलमारी में रखवाया गया। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि वह आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उनसे हाथ नहीं मिलावे तथा न ही उसके शरीर के किसी अंग को छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करे। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रर्दशन न करे तथा तथा ट्रेप पार्टी के सामने परिवादी को अपने सिर पर हाथ फेरकर रिश्वत लेन-देन होने का ईशारा करने हेतु समझाया गया। गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपी के मध्य रिश्वती राशि के लेन-देन को देखने व सुनने का प्रयास करे। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। फर्द दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पृथक से तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 12.20 पी.एम. पर सरकारी डिजीटल वायस रिकार्डर में नया मेमोरी कार्ड डालकर वायस रिकार्डर को जलसिंह कानि. 248 को सुपर्द कर परिवादी व जलसिंह कानि. एवं श्री मोहम्मद जुनैद हैड कानि. 32 को अलग-अलग प्राईवेट मोटरसाईकिल से रवाना कर मन

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ईश्वर प्रकाश कानि. 256, गणेश सिंह कानि. 375 मय स्वतंत्र गवाहान श्री मंगल सैनी, श्री सुभाष धामुनिया तथा सरकारी नया मेमारी कार्ड 16 जीबी को सरकारी कैमेरे में डालकर श्री राजकुमार कानि. 160 को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि बीएनएसएस के नवीन प्रावधानो के अनुसार मौके की विडियोग्राफी करवायी जाना आवश्यक होने विडियोग्राफी कर मैमोरी कार्ड पेश करने की हिदायत की गई तथा मय लेपटाप प्रिन्टर, ट्रेप बाक्स व आवश्यक लेखन सामग्री के मय प्राईवेट वाहन के ईलाका अलीगढ रवाना हुआ। चौकी हाजा पर श्रीमति नमिता चैधरी महिला कानि. 316 को छोडा गया। समय 1.30 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के उपरोक्त फिगरा का रवानाशुदा कस्बा अलीगढ से पहले पुलिया पर रूका वाहनो को एक साईड में खडा करवाया गया तथा परिवादी को आरोपी की लोकेशन की जानकारी लेने हेतु समझाईस की गई। समय 1.45 पी.एम. पर परिवादी श्री राजेश कुमार सेन मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास आया और बताया कि मैने विक्रम जी कुमावत जे.टी.ए. साहब के बारे में गोपनीय रूप से जानकारी की तो अभी वह अलीगढ से बाहर गये हुये है। उनका आने का इंतजार करते है। एक घंटे बाद वापस में उनके बारे में जानकारी करूगा। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान मय परिवादी के अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुये मुकीम हुये। समय 3.15 पी.एम. पर परिवादी श्री राजेश कुमार सैन मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास आया और बताया कि मैने विक्रम जी कुमावत जे.टी.ए. साहब के बारे में गोपनीय रूप से अभी फिर जानकारी की तो अभी वह अलीगढ से बाहर केम्प में गये हुये है तथा आज वो अलीगढ नही आयेगे। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी के मोबाईल फोन से आरोपी के मोबाईल फोन पर कॉल करने हेतु कहां तो परिवादी ने बताया कि विक्रम जी ने कॉल करने से मना किया है अगर मैं कॉल करूगा तो उनको शक हो जायेगा। आज विक्रम जी जे.टी.ए. साहब की अलीगढ आने की सम्भावना नही है। इस कारण आज ट्रेप कार्यवाही होना सम्भव नही है तथा कल व परसो मेरे घर पर आवश्यक कार्य है जिस कारण से मैं बाहर रहूगा । मैं मंगलवार को आपके कार्यालय पर आ जाउॅगा। परिवादी द्वारा संदिग्ध अरोपी के आज अलीगढ नही आने के बारे में मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उच्चाधिकारियो से वार्ता कर निवेदन किया गया। तत्पश्चात परिवादी की बायी जैब से रिश्वति राशि स्वतंत्र गवाह श्री मंगल सैनी से निकलवाई जाकर एक खाकी लिफाफे मे सुरक्षित रख कर स्वतंत्र गवाह मंगल सैनी के पास सुरक्षित रखवायी गयी। परिवादी को समझाईस कि गई की आरोपी का जब भी कॉल आये या सम्पर्क करे तो मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक या जलसिंह कानि को अवगत करवाये। परिवादी को उचित हिदायत देकर मौके से रूखसत कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान मय रिकार्डर मय रिश्वति राशि मय ट्रेप बाक्स मय लेपटाप-प्रिन्टर मय प्राईवेट वाहन से कार्यालय भ्रनिब्यूरो टोक के लिये रवाना हुआ। समय 4.45 पी.एम.पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान जाप्ता मय गवाहान मय रिकार्डर मय रिश्वति राशि मय ट्रेप बाक्स मय लेपटाप-प्रिन्टर मय प्राईवेट वाहनो के कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया। रिश्वति राशि मय लिफाफा के श्री मंगल सैनी से श्रीमति नमिता चौधरी महिला कानि. 316 को दिलवायी जाकर सुरक्षित कार्यालय आलमारी मे रखवाया गया तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास पूर्व से रखे रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से सम्बंधित सरकारी वायस रिकार्डर को कार्यालय आलमारी मे सुरक्षित रखा गया। स्वतंत्र गवाहान व प्राईवेट वाहन चालक को हिदायत देकर कार्यालय हाजा से रूखस्त किया गया। दिनांक 06.10.2025 समय 4.29 पी.एम.पर परिवादी ने जरिये दूरभाष जलसिंह कानि. 248 के मोबाईल पर वाटसअप कॉल कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि विक्रम जी कुमावत जे.टी.ए. साहब ने मेरे मिलने वाले को कहकर मुझे कल अलीगढ बुलाया है वह मुझसे कल अलीगढ में रिश्वति राशि लेगे। इसलिये आप लोग कल अलीगढ आ जाना मैं भी गॉव से सीधे ही अलीगढ आ जाउगॉ। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को अलीगढ से पूर्व पुलिया पर उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया तथा स्वतंत्र गवाहान व प्राईवेट वाहन को जरिये दूरभाष कल दिनांक 07.10.2025 को समय 7.15 ए.एम. पर कार्यालय हाजा पर उपस्थित होने हेतु पांबद किया गया। समय 7.15 ए.एम.पर पूर्व के पांबदशुदा स्वतंत्र गवाहान श्री मंगल सैनी व श्री सुभाष धामुनिया व प्राईवेट वाहन चालक मय वाहन के कार्यालय पर उपस्थित आये। समय 7.20 ए.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्रीमति नमिता चैधरी महिला कानि. 316 से कार्यालय आलमारी से पूर्व मे रखी रिश्वति राशि मय लिफाफा के निकलवाकर श्री श्रीमति नमिता चैधरी महिला कानि. 316 के पास सुरक्षित रखवाई जाकर समय 7.30 ए.एम पर जलसिंह कानि. 248 को प्राईवेट मोटरसाईकिल से रवाना कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान श्री मौ0 जुनेद हैड कानि0, श्री आसिफ खान सहायक उप निरीक्षक, श्री ईश्वर प्रकाश कानि0 , श्री अजित सिंह कानि. 56 तथा सरकारी कैमेरे श्री अजित सिंह को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि बीएनएसएस के नवीन प्रावधानो के अनुसार मौके की विडियोग्राफी करवायी जाना आवश्यक होने विडियोग्राफी कर मैमोरी कार्ड पेश करे मय स्वतंत्र गवाहान श्री मंगल सैनी व श्री सुभाष धामुनिया मय श्रीमति नमिता चौधरी महिला कानि. 316 मय रिश्वति राशि मय लिफाफे मय ट्रेप बॉक्स मय लेपटाप-प्रिन्टर मय वायस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड मय प्राईवेट वाहनो से कस्बा अलीगढ रवाना हुअ समय 8.40 ए.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान स्वतंत्र गवाहान व जाप्ता मय प्राईवेट वाहनो से कस्बा अलीगढ की हाईवे पुलिया पहुचा। जहॉ वाहनो को रोड पर एक साईड एकान्त में खडा किया गया वही पर परिवादी श्री राजेश कुमार सैन उपस्थित मिला। जिसने बताया कि मैंने विक्रम कुमावत जे.टी.ए. पंचायत समिति अलीगढ के बारे में जानकारी की है वह अभी अपने घर पर ही है। मैं उनका घर जानता हू मैं दिनांक 03.10.2025 को भी इनके घर पर

गया था उनका घर पंचायत समिति अलीगढ के सामने वाली गली में है जो मैन रोड से करीब 40 मीटर के करीब है। परिवादी के शरीर पर पहनी हुई पेन्ट की बायी जेब की तलाशी गवाह श्री मंगल सैनी से लिवाई जाकर कोई वस्तु नही छोडते हुये श्रीमति नमिता चौधरी महिला कानि. 316 के पास सुरक्षित रखी रिश्वति राशि को लिफाफे से निकलवाकर रिश्वति राशि 15000/-रूपये परिवादी की बायी जेब मे श्रीमति नमिता चौधरी महिला कानि. 316 से रखवाई गई तथा श्रीमति चौधरी महिला कानि. 316 को उचित हिदायत मुनासिब कर ए.सी.बी. कार्यालय टोक पहुँचने हेतु मौके से रवाना किया गया। परिवादी को रिश्वति राशि लेन-देन हेतु सिर पर हाथ फेरकर रिश्वति राशि लेन-देन का ईशारा समझाईया गया तथा ट्रेप पार्टी सदस्य व स्वतंत्र गवाहान को भी रिश्वत लेन-देन के ईशारे की समझाईस की गई। समय 8.54 ए.एम पर श्री जलसिंह कानि. 248 से रिश्वति राशि लेन-देन वार्ता हेतु वायस रिकार्डर चालू करवाकर परिवादी श्री राजेश कुमार सैन को सुपुर्द करा परिवादी को आरोपी के निवास स्थान पंचायत समिति अलीगढ के सामने वाली गली के लिये रवाना किया गया तथा परिवादी के पीछे-पीछे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के रवाना हुआ। समय 9 ए.एम.पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान मय प्राईवेट वाहन से परिवादी के पीछे-पीछे पंचायत समिति अलीगढ के पास पहुचकर आस-पास अपनी उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी के निर्धारित ईशारे के इन्तजार मे मुकिम हुआ। समय 10.50 ए.एम पर परिवादी श्री राजेश कुमार सैन पुत्र श्री रामस्वरूप सैन जाति नाई उम्र 31 साल निवासी ग्राम देवली तहसील अलीगढ जिला टोक ने समय 9.05 ए.एम. पर अपने सिर पर हाथ फेरकर रिश्वत राशि लेनदेन का ईशारा किया जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय उपरोक्त दोनो स्वतन्त्र गवाह मय ट्रैप पार्टी के सदस्य, श्री आसिफ खान सहायक उप निरीक्षक, मोहम्मद जुनैद हैड कानि. 32, जलसिंह कानि. 248, ईश्वर प्रकाश कानि. 256, श्री अजित सिंह कानि. 56, मय प्राईवेट वाहनों मय ट्रैप बॉक्स के परिवादी के पास पंचायत समिति अलीगढ के सामने सवाईमाधोपुर-अलीगढ रोड पर पहुचा परिवादी से वायस रिकार्डर जलसिंह कानि. को दिलवाया गया। परिवादी ने पंचायत समिति के सामने गली की तरफ एक मकान की तरफ ईशारा कर बताया कि उस मकान के बाहर दो कुर्सीयाँ पडी हुई है एक कुर्सी पर विक्रम सिंह जी बैठे हुए थे, मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे अपनी पास वाली कुर्सी पर बैठाया तथा मेरे द्वारा मेरे पिताजी श्री रामस्वरूप सैन के नाम से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम के तहत वर्ष 2022-2023 में खेत पर मेडबन्दी तालाब की पाल मिट्टी डालना बागवानी पशु आश्रय निर्माण कार्य स्वीकृत हुआ था। जिसकी दिनांक 16.09.2025 से दिनांक 30.09.2025 तक हुये कार्य की मस्टरोल की एमबी भरने हेतु कहने पर कहा कि "लाया है क्या" तो मैंने कहा "लेकर आया हू"। फिर मुझसे मेरे काम के संबंध में वार्ता की तथा मुझसे रिश्वति राशि 15000 रूपये अपने हाथों में लेकर गिना गया तथा मेरे द्वारा खर्चें पानी हेतु रूपये की आवश्यकता होने से 1000-500 रूपये देने हेतु कहा तो रिश्वति राशि में से 500 रूपये मुझे दिये तथा शेष रिश्वति राशि उनकी पहनी हुई नेकर की दाहिनी जेब में रखकर मकान में चले गये तथा मैं भी लौटकर आ गया। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान मय स्वतंत्र गवाहान मय परिवादी को लेकर परिवादी के बताये मकान के सामने पहुचा। परिवादी को कुछ दूरी पर रूकने हेतु ईशारा किया तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान मय स्वतंत्र गवाहान के मकान में स्थित दूकान पर पहुचा जहां पर एक व्यक्ति बैठा हुआ मिला जिसको मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना नाम व पद का परिचय देकर उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम बाबू लाल मीणा होना बताया तथा उक्त मकान स्वयं का होना बताया। बाबू लाल मीणा से विक्रम कुमावत जेटीए के बारे में पूछा तो उसने बताया कि विक्रम जी अभी-अभी मेरे मकान की प्रथम मंजिल पर बने अपने कमरें में गये है। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी राजेश कुमार सेन को हाथ का ईशारा देकर अपने पास बुलाकर तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान मय स्वतंत्र गवाहान मय परिवादी मय मकान मालिक श्री बाबूलाल मीणा के विक्रम कुमावत जेटीए के किराये के कमरे पर पहुचा तो एक व्यक्ति काली टीशर्ट व नेकर (बरमूडा) पहन कर खडा था तथा उसके पास में ही एक महिला बैठी थी। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने उक्त व्यक्ति से पूछने पर उस व्यक्ति ने स्वयं को विक्रम कुमावत तथा पास में बैठी महिला को अपनी पत्नी होना बताया। जलसिंह कानि. को हाथ का ईशारा कर अपने पास बुलाकर वायस रिकार्डर प्राप्त कर बंद किया गया। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना व हमराहीयान का परिचय देकर अपने आने का मंतव्य बताया तथा उक्त व्यक्ति से उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम विक्रम कुमावत पुत्र श्री मातादीन कुमावत जाति कुमावत उम्र 28 साल निवासी ग्राम गोंवडी पुलिस थाना सदर नीम का थाना जिला सीकर हाल पंचायत समिति अलीगढ के सामने अलीगढ हाल जे.टी.ए (जूनियर टेक्नीकल असिस्टेन्ट) संविदाकर्मी पंचायत समिति अलीगढ जिला टोक होना बताया तथा उक्त मकान श्री बाबू लाल मीणा का होना बताते हुए स्वयं को वर्ष 2018 से एक कमरा किराये पर लेकर रहना बताया तथा किराये के रूप में 3000 रूपये प्रतिमाह देना बताया तथा कमरें मे पलंग पर बैठी महिला के संबंध में पूछने पर अपनी पत्नी ललिता कुमावत होना बताया। आरोपी से परिवादी से रिश्वति राशि प्राप्त करने के बारें में पूछा गया तो रोने लगा तथा स्वयं को बचाने की प्रार्थना करने लगा तथा बताया कि अभी अभी राजेश कुमार सेन मेरे पास अपने पिताजी श्री रामस्वरूप सेन के नाम से जारी मस्टरोल (दिनांक 16.09.2025 से दिनांक 30.09.2025) की एमबी भरने हेतु मुझसे कहा तथा मेरे उधार के 15000 रूपये मुझे दिये थे। जिनको मैंने अपने हाथों में लिया तथा राजेश कुमार सेन द्वारा खर्चें पानी के रूपये मांगने पर मैंने 500 रूपये इसको दिये थे तथा उसको वापस भेज दिया था तथा मैंने 14500 रूपये

अपने नेकर (बरमूडा) की दाहिनी जेब में रखकर उपर अपने कमरें में आ गया तथा अपने नेकर की जेब से रूपये निकाल कर अपने कमरे की ताक में रख दिया जो वही पडे हुये है। परिवादी ने बताया कि मेरे पिताजी रामस्वरूप सेन के नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम के तहत वर्ष 2022-2023 में हमारे खेत पर मेडबन्दी तालाब की पाल मिट्टी डालना बागवानी पशु आश्रय निर्माण कार्य स्वीकृत हुआ था। जिसमें से कुछ कार्य हो चुका है तथा कुछ कार्य शेष है। दिनांक 16.09.2025 से दिनांक 30.09.2025 तक हुये कार्य की मस्टरोल भरी जा चुकी है तथा प्रशासक ग्राम पंचायत देवली व ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत देवली ने मस्टरोल को प्रमाणित कर रखा है। दिनांक 03.10.2025 को मैं विक्रम जी कुमावत जे.टी.ए. पंचायत समिति अलीगढ से मिला तथा अपने काम करने के लिये कहा तो विक्रम जी कुमावत जे. टी.ए. ने मेरा काम करने की एवज में 18000 रूपये रिश्वत राशि की मांग कर मेरे द्वारा कम करने की कहने पर 15000 रूपये रिश्वत की मांग की जाकर रिश्वत राशि देने पर काम करने हेतु कहा। इनकी मॉग के अनुसरण में आज मैं आपके पास अलीगढ पुलिया से रवाना होकर इनके निवास स्थान के बाहर पहुचा तो विक्रम जी कुमावत जे.टी.ए. साहब मकान के बाहर कुर्सी पर बैठे हुये थे। मैने उनसे अपने पिताजी के नाम से जारी मस्टरोल की एम.बी. भरने की कहने पर इन्होने कहा कि " लाया है क्या" तो मैने कहां कि " लेकर आया हू"। फिर इन्होने रिश्वत राशि 15000 रूपये अपने हाथो में लेकर कहा कि तेरी एम.बी. भर जायेगी तू बिल लगा देना तथा मेरे द्वारा खर्चे पानी के रूपये नही होने की कहने पर इन्होने मुझे रिश्वत राशि में से 500 रूपये मुझे दिये। फिर इन्होंने शेष रिश्वत राशि को अपने नेकर की दाहिनी जेब में रखकर अपने कमरे में चले गये तथा मैने आप लोगो को निर्धारित रिश्वत राशि का ईशारा किया। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आरोपी विक्रम कुमावत को पुनः तसल्ली देकर पूछा तो बताया कि साहब मुझसे गलती हो गई माफी चाहता हू। मुझे बचा लो" तथा बताया कि "मैं पंचायत समिति अलीगढ में जे.टी.ए. (जूनियर टेक्नीकल असिस्टेन्ट) के पद पर जुलाई 2018 से पदस्थापित हू। मैं संविदाकर्मी हू तथा मुझे 17500 रूपये वेतन मिलता है। मुझे ग्राम पंचायत अलीगढ, सोप, देवली, पायगा, हेदरपुरा, चैरू, रिजोदा, मोहम्मदपुरा का कार्य देखता हू। मैं ग्राम पंचायत में होने वाले कार्य की मस्टरोल भरने के बाद कार्य का भौतिक सत्यापन कर मौके पर एम.बी. भरता हू तथा एम.बी. व मस्टरोल सम्बन्धित ग्राम पंचायत को अग्रिम कार्यवाही हेतु सुपुर्द करता हू। ग्राम पंचायत देवली में रहने वाले रामस्वरूप सेन के महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम के तहत वर्ष 2022-2023 में खेत पर मेडबन्दी तालाब की पाल मिट्टी डालना बागवानी पशु आश्रय निर्माण कार्य स्वीकृत हुआ था। उक्त कार्य के क्रम में दिनांक 16.09.2025 से दिनांक 30.09.2025 तक हुये कार्य की मस्टरोल भरी जाकर मस्टरोल की प्रति एम.बी. भरने हेतु दिनांक 02.10.2025 को मुझे ग्राम पंचायत देवली में श्री हनुमान गुर्जर एल.डी.सी. ने दी थी। जिसको लेकर मैं अलीगढ आया था। दिनांक 03.10.2025 को रामस्वरूप सेन का लडका राजेश कुमार सेन दिन के करीब 2-3 बजे के आस-पास मुझे मिला तथा उसने मुझे अपने काम के लिये कहां था मैने उसको कहां था कि मैं काम कर दूंगा। आज दिनांक को मैं अपने किराये के मकान के बाहर बैठ हुआ था तब श्री राजेश कुमार सेन मेरे पास आया और मुझसे अपने पिताजी के नाम जारी मस्टरोल की एम.बी. भरने हेतु कहां तथा मैने कहां कि मैं एम.बी. भर दूंगा तो राजेश कुमार मीना ने जबरदस्ती मुझे कुछ रूपये मेरे हाथो में रख दिये मैंने मना किया लेकिन वह नही माना तथा उसके द्वारा खर्चे हेतु रूपये मांगने पर मैने उसको 500 रूपये तथा शेष रूपये मैने अपने नेकर की दाहिनी जेब में रखकर अपने कमरे में आकर अपने कमरे की ताक में रूपये रख दिये। मेरे पास मेरे बैग में रामस्वरूप सेन की मस्टरोल है। आरोपी से मस्टरोल की प्रति प्राप्त कर शामिल कार्यवाही किया गया। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री जलसिंह कानि. 248 से साफ पानी मंगवाया गया तथा प्लास्टिक के डिस्पोजल पारदर्शी गिलास में साफ पानी भरवाकर इसमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया जाकर हाजरीन को दिखाया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। जिसे उपस्थित गवाहान ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त प्लास्टिक के डिस्पोजल पारदर्शी गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी विक्रम कुमावत के दांहिने हाथ की अंगुलियो व अंगुठे को घोल में डुबोकर धुलवायी गई तो घोल का रंग गुलाबी रहा। जिसे हाजरीन को दिखाने पर हाजरिन ने गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट कराये जाकर मार्क आरएच-1 व आरएच-2 अंकित कर चिट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार दूसरे प्लास्टिक के डिस्पोजल पारदर्शी गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी विक्रम कुमावत के बांये हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी रहा। जिसे हाजरीन को दिखाने पर हाजरिन ने रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद कराये जाकर मार्क एलएच-1 व एलएच-2 अंकित करा चिट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात आरोपी विक्रम कुमावत के कमरे की ताक में रखी रिश्वत राशि स्वतंत्र गवाह श्री मंगल सैनी ने उठाकर पेश की। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्वतंत्र गवाहान से नोटों को गिनवाये गये तो 500-500 रूपये के 29 नोट कुल 14500/-रूपये मिले जिनका मिलान पूर्व की मुर्तिबशुदा फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट में अंकित नम्बरों से करवाया गया तो नोटों के नम्बरों का हुबहु मिलान होना पाया रिश्वती राशि 14500/-रूपये को प्राप्त कर उक्त रिश्वती राशि एक कागज के लिफाफे मे रखकर लिफाफे को कपडे की थैली में सिल्ड चिट कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क "एन" अंकित कर कब्जे एसीबी लिये तथा परिवादी श्री राजेश कुमार सेन द्वारा रिश्वती राशि का एक नोट 500 रूपये नम्बर 3AF 350721 का पेश करने पर नोट को स्वतंत्र गवाहान से मुर्तिबशुदा फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट में

अंकित नम्बरों से मिलान होने पर उक्त नोट को एक कागज के लिफाफे मे रखकर लिफाफे को कपडे की थैली में सिल्ड चिट कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क "एन-1" अंकित कर कब्जे एसीबी लिये तथा संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात आरोपी श्री विक्रम कुमावत के वक्त घटना पहने हुए नेकर (बरमूडा) को ससम्मान उतरवायी जाकर एक पजामें की व्यवस्था कर पहनाया गया। तत्पश्चात एक प्लास्टिक के डिस्पोजल पारदर्शी गिलास में साफ पानी भरवाकर इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया जाकर हाजरीन को दिखाया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। जिसे उपस्थित गवाहान ने रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात उक्त घोल में आरोपी की पहनी हुये नेकर (बरमूडा) की दायी जेब को उलटकर स्वतंत्र गवाह श्री मंगल सैनी से धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हुआ। जिसे हाजरिन ने गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद कराये जाकर मार्क पी-1 व पी-2 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा नेकर (बरमूडा) की दाहिनी जेब जिसमे से रिश्वत राशि बरामद हुई को सूखवा कर नेकर (बरमूडा) को सफेद कपडे की थैली मे रखकर सिलचिट कर मार्क "पी" अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात आरोपी श्री विक्रम कुमावत द्वारा रिश्वत राशि अपने कमरें की ताक में रखी गयी थी जहां से रिश्वत राशि बरामद हुई थी, उस स्थान को रूई के फोहे से साफ किया गया। तत्पश्चात एक प्लास्टिक के डिस्पोजल पारदर्शी गिलास में साफ पानी भरवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया जाकर हाजरीन को दिखाया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। जिसे उपस्थित गवाहान ने रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात उक्त घोल में रूई के फोहे को डूबाकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी झाँईदार प्राप्त हुआ। जिसे हाजरिन ने हल्का गुलाबी झाँईदार होना स्वीकार किया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद कराये जाकर मार्क सी-1 व सी-2 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा रूई के फोहे को सूखवाकर रूई के फोहे को सफेद कपडे की थैली मे रखकर सिलचिट कर मार्क "सी" अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात आरोपी विक्रम कुमावत के निवास स्थान किराये के कमरें व कार की तलाशी ली गयी तो खाने पीने के बर्तन व घरेलू सामान व इस्तेमाली कपडे के अतिरिक्त अन्य कोई संदिग्ध वस्तु/संदिग्ध राशि नही मिली तथा तलाशी में दो हजार रूपये आरोपी की पत्नी के पास हाथ में थे जिनको विक्रम कुमावत की पत्नी द्वारा अपना होना बताया जिस पर घर खर्च हेतु उक्त रूपये आरोपी की पत्नी के पास ही छोडे गये। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराही जाप्ता मय परिवादी मय गवाहान मय डिटेनशुदा आरोपी विक्रम कुमावत मय शील्डशुदा/जप्तशुदा प्रादर्शो के मय ट्रेप बॉक्स, लेपटाप, प्रिन्टर के अग्रिम कार्यवाही हेतु पुलिस थाना अलीगढ के लिए रवाना होकर पुलिस थाना अलीगढ पहुचा। थानाधिकारी के बारे में जानकारी की तो मौजूदा स्टाफ/कार्यवाहक थानाधिकारी श्री बाबूलाल सहायक उपनिरीक्षक पुलिस ने अवकाश पर होना बताया। मौजूदा स्टाफ से अग्रिम ट्रैप कार्यवाही करने हेतु जगह उपलब्ध कराने हेतु कहने पर मौजूदा स्टाफ ने थाना परिसर के स्वागत कक्ष का उपयोग करने की मौखिक सहमति दी। रिश्वत लेन-देन से सम्बन्धित रिकार्डिंग को सुना गया तो आरोपी व परिवादी के मध्य रिश्वत लेन-देन वार्ता होना पाया गया।उपरोक्त तथ्यो एवं परिस्थितियो से पाया कि परिवादी के पिता श्री रामस्वरूप सैन के नाम से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम के तहत वर्ष 2022-2023 में खेत की मेडबन्दी तालाब की पाल मिट्टी डालना बागवानी पशु आश्रय निर्माण कार्य स्वीकृत हुआ था। जिसमें से कुछ कार्य हो पूर्व में हो चुका था तथा कुछ कार्य शेष था। दिनांक 16.09.2025 से दिनांक 30.09.2025 तक हुये परिवादी के खेत पर हुये कार्य की मस्टरोल भरी गई तथा ग्राम पंचायत देवली द्वारा अग्रिम कार्यवाही हेतु माप पुस्तिका (एम.बी.) भरने हेतु आरोपी विक्रम कुमावत जे.टी.ए. को दिनांक 02.10.2025 को सुपुर्द की गई। दिनांक 03.10.2025 को परिवादी राजेश कुमार सेन अपने काम के लिये आरोपी विक्रम कुमावत जे.टी.ए. पंचायत समिति अलीगढ से मिला तथा अपने काम करने के लिये आरोपी से कहां तो आरोपी ने परिवादी का काम करने की एवज में 18000 रूपये रिश्वत राशि की मांग कर परिवादी द्वारा कम करने की कहने पर आरोपी ने 15000 रूपये रिश्वत की मांग की जाकर रिश्वत राशि देने पर काम करने हेतु कहा। आरोपी के मांग के अनुसरण में आज दिनांक 07.10.2025 को परिवादी को रिश्वत राशि 15000 रूपये देकर आरोपी विक्रम कुमावत जे.टी.ए. (जूनियर टेक्नीकल असिस्टेन्ट) पंचायत समिति अलीगढ के पास उसके निवास स्थान पर भेजा गया तो आरोपी विक्रम कुमावत को परिवादी ने उसके पिताजी के नाम से जारी मस्टरोल (दिनांक 16.09.2025 से दिनांक 30.09.2025) की माप पुस्तिका (एम.बी.) भरने की कहने पर आरोपी द्वारा रिश्वत राशि 15000 रूपये मांगकर अपने हाथो में लेकर कहां कि तेरी एम.बी. भर जायेगी। परिवादी द्वारा आरोपी से खर्चे हेतु रूपये पैसे नही होने की कहने पर आरोपी द्वारा रिश्वत राशि में से 500 रूपये परिवादी को खर्चे हेतु दिये तथा शेष रिश्वत राशि 14500 रूपये अपने पहने हुये नेकर (बरमुडा) की दाहिनी जेब में रखकर अपने कमरे में चला गया तथा रिश्वत राशि को अपने कमरे की ताक में रख दिया जहा से रिश्वत राशि बरामद हुई। आरोपी विक्रम कुमावत के दोनो हाथो के धोवण तथा नेकर (बरमुडे) के धोवण का रंग गुलाबी होना होना पाया गया तथा जहां से रिश्वत राशि बरामद हुयी उस स्थान के धोवण का रंग हल्का गुलाबी झाँईदार प्राप्त हुआ। इस प्रकार आरोपी द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर स्वंय के लिये अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से परिवादी से रिश्वत राशि प्राप्त की गई। आरोपी का उक्त कृत्य अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का घटित करना पाया जाता है। आरोपी विक्रम कुमावत पुत्र श्री मातादीन

कुमावत जाति कुमावत उम्र 28 साल निवासी ग्राम गांवडी पुलिस थाना सदर नीम का थाना जिला सीकर हाल पंचायत समिति अलीगढ के सामने अलीगढ हाल जे.टी.ए (जूनियर टेक्नीकल असिस्टेन्ट) संविदाकर्मी पंचायत समिति अलीगढ जिला टोक को पृथक से जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया है। उक्त सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही की ऑडियो विडियो रिकार्डिंग कार्यालय के सरकारी कैमरे से श्री अजीत सिंह कानि. 56 से करवाई गई। उक्त कार्यवाही में प्रकाश की उपयुक्त व्यवस्था रही। समय 1.30 पी.एम पर स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष आरोपी विक्रम कुमावत पुत्र श्री मातादीन कुमावत जाति कुमावत उम्र 28 साल निवासी ग्राम गांवडी पुलिस थाना सदर नीम का थाना जिला सीकर हाल पंचायत समिति अलीगढ के सामने अलीगढ हाल जे.टी.ए (जूनियर टेक्नीकल असिस्टेन्ट) संविदाकर्मी पंचायत समिति अलीगढ जिला टोक को जरिए फर्द गिरफ्तार किया गया। समय 2.10 पी.एम पर आरोपी विक्रम कुमावत पुत्र श्री मातादीन कुमावत जाति कुमावत उम्र 28 साल निवासी ग्राम गांवडी पुलिस थाना सदर नीम का थाना जिला सीकर हाल पंचायत समिति अलीगढ के सामने अलीगढ हाल जे.टी.ए (जूनियर टेक्नीकल असिस्टेन्ट) संविदाकर्मी पंचायत समिति अलीगढ जिला टोक के रिहायशी मकान ग्राम गांवडी की खाना तलाशी हेतु उच्चाधिकारियो से निवेदन किया गया। समय 2.28 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतन्त्र गवाह, मय परिवादी मय गिरफ्तारशुदा आरोपी विक्रम कुमावत मय जाप्ता मय जप्तशुदा व शील्डशुदा आर्टीकल व रिश्वत राशि मय ट्रेप बॉक्स, कार्यालय लेपटाप, प्रिन्टर मय सरकारी कैमरा मय प्राईवेट वाहनो के पुलिस थाना अलीगढ जिला टोक से एसीबी कार्यालय टोक के लिए रवाना हुआ। समय 3.45 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान जाप्ता मय परिवादी मय गवाहान एवं गिरफ्तारशुदा आरोपी विक्रम कुमावत जे.टी.ए. (जूनियर टेक्नीकल असिस्टेन्ट) संविदाकर्मी पंचायत समिति अलीगढ जिला टोक मय शील्डशुदा सेम्पल व रिश्वत राशि, जप्तशुदा आर्टिकल आदि के मय प्राईवेट वाहनो के ए.सी.बी. कार्यालय टोक पहुचा। जहा पर श्रीमति नमिता चौधरी महिला कानि. 316 उपस्थित मिली। समय 4 पी.एम. पर आज दिनांक 07.10.2025 को रूबरू परिवादी श्री राजेश कुमार सैन व आरोपी विक्रम कुमावत जे.टी.ए. (जूनियर टेक्नीकल असिस्टेन्ट) संविदाकर्मी पंचायत समिति अलीगढ जिला टोक के मध्य हुई रिश्वत राशि लेन देन वार्ता जो ब्यूरो के उक्त वाइस रिकार्डर में लगे मेमोरी कार्ड में दर्ज हैं। वाईस रिकार्डर को चालूकर गवाहान व परिवादी के समक्ष लैपटाप से कनेक्ट कर शब्द-ब-शब्द सुन श्री जलसिंह कानि. 248 की मदद से फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता के 3 सीडियो में तैयार करवायी गयी। दो सीडियो को अलग-अलग कपड़े की थैली में रखकर सिलचिट कर मार्क B-1, B-2 अंकित किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। एक सी.डी को अनुसंधान अधिकारी के लिये कागज के लिफाफे मे रखी गई। उक्त डेटा/वाईस रिकॉर्डिंग को सरकारी लेपटॉप में संधारित लाईसेन्स एन्टीवायरस से स्केन करवाया गया। स्केनिंग के पश्चात् उक्त रिकॉर्डिंग में किसी भी प्रकार का कोई वायरस/मॉलवेयर होना नही पाया गया। हेसवेल्यू की प्रिन्ट निकलवाई जाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 6 पी.एम. पर दिनांक 03.10.2025 को परिवादी श्री राजेश कुमार सैन व आरोपी विक्रम कुमावत जे.टी.ए. (जूनियर टेक्नीकल असिस्टेन्ट) संविदाकर्मी पंचायत समिति अलीगढ जिला टोक के मध्य रूबरू हुई मांग सत्यापन वार्ता व दिनांक 07.10.2025 को परिवादी श्री राजेश कुमार सैन व आरोपी विक्रम कुमावत जे.टी.ए. (जूनियर टेक्नीकल असिस्टेन्ट) संविदाकर्मी पंचायत समिति अलीगढ जिला टोक के मध्य रूबरू हुई रिश्वत लेन देन वार्ता हुई से सम्बन्धित मेमोरी कार्डस KDM 16 GB कम्पनी के 2 नग को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सिल चिट कर मार्क M अंकित कर सम्बधितो के हस्ताक्षर करवा कब्जे ब्यूरो लिया गया। फर्द पृथक से तैयार कर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 6.30 पी.एम. पर बीएनएसएस की धारा 105 में अंकित प्रावधानो के अनुसार ट्रेप कार्यवाही के दौरान मौके पर श्री अजित सिंह कानि. 56 से विडियोग्राफी करवायी गयी थी। श्री अजित सिंह कानि. 56 ने मौके पर की गई विडियोग्राफी का मूल मेमोरी कार्ड प्रस्तुत किया। श्री अजित सिंह कानि. 56 की मदद से मैमोरी कार्ड को सरकारी लेपटोप से कनैक्ट कर उक्त विडियो के 3 पेनड्राईव 16-16 जी.बी. PENDANT कम्पनी के तैयार करवाये गये। 2 पेनड्राईवो को कपड़े की थैली में रखकर सिलचिट कर मार्क D-1, D-2, अंकित किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। एक पेनड्राईव अनुसंधान अधिकारी के लिये कागज के लिफाफे मे रखा गया। मूल मैमोरी कार्ड 1 नग को कपड़े की थैली में रखकर सिलचिट कर मार्क M-1 अंकित किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। फर्द पृथक से मुर्तिब की गई। इसी दौराने श्री मोहम्मद जुनैद हैड कानि. 32 मय सरकारी वाहन मय चालक गणेश सिंह 375 के चिकित्सा अधिकारी सआदत चिकित्सालय टोक व थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली जिला टोक के नाम तहरीर मुर्तिब कर आरोपी विक्रम कुमावत जे.टी.ए. पंचायत समिति अलीगढ का राजकीय चिकित्सालय में स्वास्थ्य परीक्षण करवा बाद जांच पुलिस थाना कोतवाली में सुरक्षित सुरक्षार्थ जमा करवाने की हिदायत कर रवाना किया। समय 8.05 पी.एम पर मोहम्मद जुनैद हैड कानि. 32 मय सरकारी वाहन मय चालक गणेश सिंह 375 के आरोपी विक्रम कुमावत जे.टी.ए. पंचायत समिति अलीगढ का स्वास्थय परीक्षण करवाकर आरोपी को कोतवाली टोक में सुरक्षार्थ जमा करवाकर रसीद प्राप्त कर हाजिर आये। समय 8.10 पी.एम पर जब्तशुदा सिल्डचिट रिश्वती राशि 14500 रूपये मार्क एन व परिवादी से प्राप्त रिश्वती राशि 500 रूपये मार्क एन-1 सिल्ड चिट शुदा धोवन की शिशियां मार्क आरएच-1, आरएच-2, एलएच-1, एलएच-2, पी-1, पी-2, सी-1, सी-2 तथा नेकर (बरमुडा) का शील्डशुदा पैकिट मार्क-पी तथा रूई के पोहे का शील्डशुदा पैकिट मार्क "सी" शील्डशुदा पैकिट 5 सीडियों सफेद पृथक-पृथक कपडे की थैली में मार्क A-1, A-2, A-3, B-1,

B-2, तथा शील्डशुदा पैकिट मेमोरी कार्ड मार्क- M शील्डशुदा पैकिट 2 पेनड्राईव सफेद पृथक-पृथक कपडे की थैली में रखकर मार्क D-1, D-2 शील्डशुदा पैकिट मेमोरी कार्ड मार्क- M-1 इत्यादी को मालखाना इन्चार्ज श्री आसिफ खान स.उ.नि. को सुपुर्द कर कार्यालय के मालखाना में सुरक्षित रखवाये। समय 8.30 पी.एम. पर स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी के समक्ष दौराने ट्रेप कार्यवाही उपयोग में ली गई ब्रास-सील का अवलोकन करवाया जाकर फर्द पर नमूना सील अंकित कर ब्रास सील को कार्यालय परिसर के बाहर पत्थर से तुड़वाई जाकर नष्ट की गई। फर्द नमूना व नाशानी नमूना सील मुर्तिब की जाकर हाजरिन को पढ़ कर सुनाई गयी, सुन-समझ कर व पढ़कर सही मान अपने-अपने हस्ताक्षर किये। समय 9 पी.एम. पर परिवादी श्री राजेश कुमार सेन व दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री मंगल सैनी व श्री सुभाष धामुनिया को उचित हिदायत कर कार्यालय से रूखसत किया गया। समय 9.30 पी.एम. पर श्री जलसिंह कानि. 248 ने रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता व रिश्वत लेन देन वार्ता की फर्द ट्रांसक्प्टि बनाने एवं उक्त मेमोरी कार्ड मे दर्ज वार्ताओ का सीडियो में तैयार करने के संबध मे बी.एन.एस.एस. की धारा 63(4)(ग) के प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। जो बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। समय 10 पी.एम. पर श्री अजित सिंह कानि. 56 ने दौराने ट्रेप कार्यवाही बी.एन.एस.एस. के प्रावधानो के अनुसार मौके पर करवायी गई विडियोग्राफी का मेमोरी कार्ड तैयार करने तथा मैमोरी कार्ड से पैनड्राईव तैयार करने के संबध मे बी.एन.एस.एस. की धारा 63(4)(ग) के प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। जो बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। समय 10.20 पी.एम. पर रिश्वत राशि मांग सत्यापन एवं लेन देन वार्ता की ट्रांसक्प्टि, मेमोरी कार्ड, सीडियों एवं मौके की विडियोगाफ्री के मैमोरी कार्ड, पैनड्राईव के संबध मे बी.एन.एस.एस. की धारा 63(4)(ग) साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया।उपरोक्त तथ्यो एवं परिस्थितियो से पाया कि परिवादी के पिता श्री रामस्वरूप सैन के नाम से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम के तहत वर्ष 2022-2023 में खेत की मेडबन्दी तालाब की पाल मिट्टी डालना बागवानी पशु आश्रय निर्माण कार्य स्वीकृत हुआ था। जिसमें से कुछ कार्य पूर्व में हो चुका था तथा कुछ कार्य शेष था। दिनांक 16.09.2025 से दिनांक 30.09.2025 तक हुये परिवादी के खेत पर हुये कार्य की मस्टरोल भरी गई तथा ग्राम पंचायत देवली द्वारा अग्रिम कार्यवाही हेतु माप पुस्तिका (एम.बी.) भरने हेतु आरोपी विक्रम कुमावत जे.टी.ए. को दिनांक 02.10.2025 को सुपुर्द की गई। दिनांक 03.10.2025 को परिवादी राजेश कुमार सेन अपने काम के लिये आरोपी विक्रम कुमावत जे.टी.ए. पंचायत समिति अलीगढ से मिला तथा अपने काम करने के लिये आरोपी से कहा तो आरोपी ने परिवादी का काम करने की एवज में 18000 रूपये रिश्वत राशि की मांग कर परिवादी द्वारा कम करने की कहने पर आरोपी ने 15000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की जाकर रिश्वत राशि देने पर ही काम करने हेतु कहा। आरोपी के मांग के अनुसरण में आज दिनांक 07.10.2025 को परिवादी को रिश्वत राशि 15000 रूपये देकर आरोपी विक्रम कुमावत जे.टी.ए. (जूनियर टेक्नीकल असिस्टेन्ट) पंचायत समिति अलीगढ के पास उसके निवास स्थान पर भेजा गया तो आरोपी विक्रम कुमावत को परिवादी ने उसके पिताजी के नाम से जारी मस्टरोल (दिनांक 16.09.2025 से दिनांक 30.09.2025) की माप पुस्तिका (एम.बी.) भरने की कहने पर आरोपी विक्रम कुमावत जे.टी.ए. द्वारा रिश्वत राशि 15000 रूपये मांगकर अपने हाथो में लेकर कहां कि तेरी एम.बी. भर जायेगी। परिवादी द्वारा आरोपी से खर्चे हेतु रूपये पैसे नही होने की कहने पर आरोपी द्वारा रिश्वत राशि में से 500 रूपये परिवादी को खर्चे हेतु दिये तथा शेष रिश्वत राशि 14500 रूपये अपने पहने हुये नेकर (बरमुडा) की दाहिनी जेब में रखकर अपने कमरे में चला गया तथा रिश्वत राशि को अपने कमरे की ताक में रख दिया जहा से रिश्वत राशि बरामद हुई। आरोपी विक्रम कुमावत के दोनो हाथो के धोवण तथा नेकर (बरमुडे) के धोवण का रंग गुलाबी होना होना पाया गया तथा जहां से रिश्वत राशि बरामद हुयी उस स्थान के धोवण का रंग हल्का गुलाबी झाँईदार प्राप्त हुआ। इस प्रकार आरोपी द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर स्वंय के लिये अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से परिवादी से रिश्वत राशि प्राप्त की गई। आरोपी का उक्त कृत्य अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का जुर्म प्रथमदृष्ट्या प्रमाणित पाया गया।अतः आरोपी विक्रम कुमावत पुत्र श्री मातादीन कुमावत जाति कुमावत उम्र 28 साल निवासी ग्राम गॉवडी पुलिस थाना सदर नीम का थाना जिला सीकर हाल पंचायत समिति अलीगढ के सामने अलीगढ हाल जे.टी.ए (जूनियर टेक्नीकल असिस्टेन्ट) संविदाकर्मी पंचायत समिति अलीगढ जिला टोक के विरूद् धारा उपरोक्त में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमाकंन सादर प्रेषित है।(झाबर मल)अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकभ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टोक............कार्यवाही पुलिस.............प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री झाबर मल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोक ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में आरोपी विक्रम कुमावत पुत्र श्री मातादीन कुमावत जाति कुमावत उम्र 28 साल निवासी ग्राम गावडी पुलिस थाना सदर नीम का थाना जिला सीकर हाल पंचायत समिति अलीगढ के सामने अलीगढ हाल जे.टी.ए (जूनियर टेक्नीकल असिस्टेन्ट) संविदाकर्मी पंचायत समिति अलीगढ जिला टोक के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्रीमती कंचन भाटी, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, ईन्टें अजमेर, को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 334 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठौड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1492-95 दिनांक 08.10.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1-.विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन

न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, टोंक, 2-. जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलक्टर, टोंक, 3- पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर 4-.अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टोंक। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** KANCHAN BHATI **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,I
Date: 0 0/2025 1 4

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	01/07/1996				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)